न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 153/2023

मनीष कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति जाट साकिन 10 बीएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थी

बनाम

1. पूर्णराम पुत्र सुरताराम जाति जाट साकिन 10 बीएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. मन्जू देवी पत्नी विजय कुमार जाति जाट साकिन 10 बीएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. मोहनलाल पुत्र सुरताराम जाति जाट साकिन 10 बीएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. रामनारायण उर्फ नारायणराम पुत्र सुरताराम जाति जाट साकिन 10 बीएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. केशर देवी पत्नी जयमलराम जाति जाट साकिन 45 एलएलडब्लयू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन भागीबन्दर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. चुनीराम पुत्र रामरख जाति जाट साकिन भागीबन्दर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. धर्मपाल पुत्र दलीपराम जाति जाट साकिन भागीबन्दर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
9. बलवन्तराम पुत्र दलीपराम जाति जाट साकिन भागीबन्दर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
10. राज कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन भागीबन्दर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हीरालाल बिरथलिया	प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सुथार	अप्रार्थी संख्या 1 ता 10
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 11

—:: निर्णय ::—

दिनांक :– 30/10/2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्र्तगत धारा 251–क के तहत अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निम्नानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.11 15:33:46 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी के नाम से एकल स्वामित्व [illegible] दारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 10 बीएलडब्लयू के खाता सं. [illegible] के [illegible] 45/248 के किला नं. 2/4, 913, 12/5, 19/3, 22/4 कुल [illegible] [illegible] बिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना [illegible] यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 10 बीएलडब्लयू के खाता सं. 89 के प.नं. प.नं. 45/248 के किला नं. 5/4/.019, 6/2/.019, 11/3/.009,

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

12/3/.019, 13/2/.019, 14/3/.019, 15/2/.038 कुल 0.142 हैक्ट. दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 5 ता 10 के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 10 बीएलडब्लयू के खाता सं. 54 के प.नं. 44/248 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 20, 21/3, 22 ता 25 कुल तादादी 6.274 हैक्ट. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 4 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के द्वारा अपनी चक 10 बीएलडब्लयू के प.नं. 45/248 की लगभग 24 बीघा 12 बिस्वा संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व अभिलेख थी। उक्त 24 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि का अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के मध्य आपसी सहमति से घरा घरू बंटवारा हुआ और मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की कृषि भूमि का आपसी विभाजन होकर अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की कृषि भूमि को आने– जाने के लिए घरू तौर पर संयुक्त रूप से एक रास्ता प.नं. 45/248 के किला नं. 5/4/.019, 6/2/.019, 11/3/.009, 12/3/.019, 13/2/.019, 14/3/.019, 15/2/.038 कुल 0.142 हैक्ट. छोडा गया था और अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की भूमि के लिए अप्रार्थी सं. 5 ता 10 ने अपनी कृषि भूमि के प.नं. 44/248 के किला नं. 11.017 हैक्ट. पश्चिमी दिशा हेतू दिया गया और अप्रार्थी सं. 5 ता 10 की कृषि भूमि के उत्तर दिशा मे प.नं. 44/247 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत शुदा रास्ता है जो कि अप्रार्थी सं. 5 ता 10 की भूमि को आकर रूक जाता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे अपने नाम वर्णित 0.253 हैक्ट. कृषि भूमि अपने सगे ताअ अप्रार्थी सं. 1 पूर्णराम से खरीद की गई। खरीद के समय अप्रार्थी सं. 1 ता 4 द्वारा प्रार्थी को आश्वासत किया गया था कि वह प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आवगमन हेतू जो घरेलू रास्ता चल रहा है के उपयोग व उपभोग मे किसी प्रकार से विघ्न एवं रूकावट पैदा नही करेंगे लेकिन पिछले कुछ दिनों से अप्रार्थीगण एक राय होकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आवगमन से वंचित करने के उद्देश्य से रास्ता को बन्द करना चाहते हैं। प्रार्थी की कृषि भूमि को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही लगता है और ना प्रार्थी की कृषि भूमि को अन्य कोई वैकल्पिक एवं नजदीक रास्ता है। इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम वर्णित 0.142 हैक्ट. व अप्रार्थी सं. 5 ता 10 के नाम वर्णित प.नं. 44/248 के किला नं. 1/1/.017 हैक्ट. बैजानिव पश्चिमी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की कृषि भूमि चक 10 बीएलडब्लयू के खाता सं. 89 के प.नं. प.नं. 45/248 के किला नं. 5/4/.019, 6/21.019, 11/3/.009, 12/3/.019, 13/2/.019, 14/3/.019, 15/2/.038 कुल 0.142 हैक्ट. गै.मु. रास्ता व अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम वर्णित प.नं. 44/248 के किला नं. 1/1/.017 हैक्ट. बैजानिव पश्चिमी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.11 15:33:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता [illegible] गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीसंख्या 1 ता 10 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार द्वारा हाजिर होकर वकालतनामा मय जवाब प्र[illegible]ना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली है। जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 ता 10 की ओर से निम्न प्रकार से हैः– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

की दफा 2 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 4 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के द्वारा अपनी चक 10 बीएलडब्लयू के प.नं. 45/248 की लगभग 24 बीघा 12 बिस्वा संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व अभिलेख थी। उक्त 24 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि का अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के मध्य आपसी सहमति से घरा घरू बंटवारा हुआ और मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की कृषि भूमि का आपसी विभाजन होकर अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की कृषि भूमि को आने जाने के लिए घरू तौर पर संयुक्त रूप से एक रास्ता प.नं. 45/248 के किला नं. 5/4/.019, 6/2/.019, 11/3/.009, 12/3/.019, 13/2/.019, 14/3/.019, 15/2/.038 कुल 0.142 है. छोडा गया था और अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की भूमि के लिए अप्रार्थी सं. 5 ता 10 ने अपनी कृषि भूमि के प.नं. 44/248 के किला नं. 1/.017 हैक्ट. पश्चिमी दिशा हेतू दिया गया और अप्रार्थी सं. 5 ता 10 की कृषि भूमि के उत्तर दिशा मे प.नं. 44/247 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत शुदा रास्ता है जो कि अप्रार्थी सं. 5 ता 10 की भूमि को आकर रूक जाता है। शेष कथन अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम वर्णित 0.142 हैक्ट. व अप्रार्थी सं. 5 ता 10 के नाम वर्णित प.नं. 44/248 के किला नं. 1/1/.017 हैक्ट. बैजानिव पश्चिमी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है । अप्रार्थी सं. 1 ता 4 अपने नाम वर्णित भूमि का रास्ता का अंकन करवाने पर सहमत है और रास्ता के एवज मे पूर्व ही कृषि भूमि व प्रतिफल प्राप्त कर लिया है व अप्रार्थी सं. 5 ता 10 को उक्त 0.017 हैक्ट. भूमि रास्ता के एवज मे अप्रार्थी सं. 4 के हक व हिस्सा मे से प.नं. 44/248 के किला नं. 21/4/.051 हैक्ट. मे से 0.017 हैक्ट. अप्रार्थी सं. 5 ता 10 की कृषि भूमि के लगती हुई भूमि अप्रार्थी सं. 5 ता 10 के नाम से राजस्व अभिलेख मे अंकन किया जावे। वर्तमान मे उक्तानुसार ही रास्ता बिना किसी विवाद के चला आ रहा है।

अतः जबाव प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की कृषि भूमि चक 10 बीएलडब्लयू के खाता सं. 89 के प.नं. प.नं. 45/248 के किला नं. 5/4/.019, 6/21.019, 11/3/.009, 12/3/.019, 13/2/.019, 14/3/. 019, 15/2/038 कुल 0.142 हैक्ट. गै.मु. रास्ता व अप्रार्थी सं. 5 ता 10 के नाम वर्णित प.नं. 44/248 के किला नं. 1/1/.017 हैक्ट. बैजानिव पश्चिमी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर मिन अप्रार्थी सं. 4 की कृषि भूमि के प.नं. 44/248 के किला नं. 21/4/.051 हैक्ट. मे से 0.017 हैक्ट. भूमि अप्रार्थी सं. 5 ता 10 के नाम से ब.हि.ब. अंकन किया जाकर राजस्व अभिलेख मे अंकन किया जावे तो मिन अप्रार्थीगण पूर्णतः सहमत एवं रजामन्द है ।

प्रकरण में रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 658 दिनांक 03.09.24 से प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। समस्त काश्तकारो को पक्षकार बनाया गया है। अन्य स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। मौका पर प.नं. 46/249 (76) के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृतशुदा रास्ता दर्ज रिकार्ड है। अन्य वैकल्पिक रास्ता चालू नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.11 15:33:46 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में सहमती के आधार पर एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

—:आदेश:—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजो व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रस्तुत दस्तावेजों शपथ पत्र व जवाब अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की कृषि भूमि चक 10 बीएलडब्लयू के खाता सं. 89 के प.नं. 45/248 के किला नं. 5/4/.019, 6/2/.019, 11/3/.009, 12/3/.019, 13/2/.019, 14/3/.019, 15/2/.038 कुल 0.142 हैक्ट. गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है व अप्रार्थी सं. 5 ता 10 के नाम वर्णित प.नं. 44/248 के किला नं. 1/1/.017 हैक्ट. बैजानिब पश्चिमी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता की एवज के रूप में प्रतिफल के रूप में अप्रार्थी सं. 4 की कृषि भूमि के प. नं. 44/248 के किला नं. 21/4/.051 हैक्ट. में से 0.017 हैक्ट. भूमि अप्रार्थी सं. 5 ता 10 के नाम से ब. हि. ब. अंकन किया जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार उक्तानुसार आदेशों की पालना कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 30/10/24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

न्यायालय कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.11 15:33:46 IST
Reason: SelfAttested